रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एस.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

सं० 35] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 20, 1984/अग्रहायण 29, 1906
No. 35 NEW DELHI, THRUSDAY, DEC. 20, 1984/AGRAHAYANA 29, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1984

का. नि. आ. 96(अ) :—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 99-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, निर्वाचन आयोग की ओर से लोक सभा/विधान सभाओं के आम निर्वाचनों के संचलन से संबंधित ड्यूटी पर प्रयोग में लाए जाने वाले सभी वाहनों को, दिसम्बर 1984 से जनवरी, 1985 की अवधि तक उन सभी करों के भुगतान से मुक्त करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन देश की किसी भी छावनी की स्थानीय सीमाओं में लगाया जाता है ।

[फा. सं. 53/15/सी/एल एण्ड सी/84/7178/डी (वय एण्ड सी)]
के. श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 20th December, 1984

S.R.O. 96(E).—In exercise of the powers conferred by section 99-A of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby exempts all vehicles used on duty on behalf of the Election Commission in connection with the conduct of general elections to Lok Sabha/Vidhan Sabhas during December 1984 to January 1985 from the payment of any tax imposed on vehicles under the provisions of the said Act within the local limits of any Cantonments situated in the country.

[F. No. 53/15/C/L&C/84/7178/D(Q&C)]

K. SRINIVASAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110001
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984